



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा.सं. NCST/DEV-2962/JH/105/2024-RO-RNC-RU-IV

दिनांक : 20.11.2025

सेवा में,

1

श्री अरवा राजकमल

अध्यक्ष,

झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

खनिज निगम भवन, डोरंडा

रांची, झारखंड - 834002

E.mail: contact@jmsdc.in

2

श्री नीतीश कुमार सिंह

उपायुक्त,

जिला - सरायकेला खरसावाँ

पहला मंजिल गौरंगदीह,

समाहरणालय भवन,

सरायकेला खरसावा, झारखंड 833219

Email Id: dc-sar@nic.in

3.

श्री मुकेश कुमार लुनायत

पुलिस अधीक्षक,

जिला - सरायकेला खरसावाँ

पुलिस अधीक्षक कार्यालय,

सरायकेला खरसावा, झारखंड 833219

Email Id: sp-seraikela@jhpolic.gov.in

विषय:

अभ्यावेदक श्री ज्योति लाल मांझी, ग्राम-जामदोहा, पो.-बांदु, थाना-ईचागढ़, जिला- सरायकेला खरसावाँ (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन " झारखंड सरकार के गजट 26 जुलाई 2023 के आधार पर ग्राम सभा का अधिकार निहित है परन्तु आदिवासीयों के परम्परागत ग्राम प्रधान के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस संबंध में सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पेसा कानून के विभिन्न धाराओं के आधार बताया गया परन्तु अधिकारों का कानून नहीं मानते हुये संवैधानिक कानूनों का दमन करते हुये ग्राम प्रधानों पर दर्ज मामलों में न्याय दिलाने के संबंध में।

संदर्भ:

(i) खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार पत्र सं 793/एम0/सरायकेला दिनांक 03.07.2024

(ii) पुलिस अधीक्षक का कार्यालय सरायकेला - खसावा पत्र सं 3119/गो0 दिनांक 25.07.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषककी जांच/ जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **01.12.2025 को 15:10 Hrs** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह)

अवर सचिव

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री ज्योति लाल मांझी,

ग्राम जामदोहा,

पो० बांदु, थाना ईचागढ़,

जिला - सरायकेला खरसावा, झारखण्ड,

Mobile No: 7061141104

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading